



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012022-232822
CG-DL-E-21012022-232822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2022/माघ 1, 1943

No. 33]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2022/MAGHA 1, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 33(अ).—कीटनाशक नियमावली, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित मसौदा नियमावली, जिसे केंद्र सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा, उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमावली पर उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को कीटनाशक (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उक्त नियमावली के नियम 19 में निम्नलिखित उपनियम (5) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट वर्ग के निचले हिस्से में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (8) में निर्दिष्ट रंग समाहित होगा, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कीटनाशकों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

श्रेणी	कीटनाशकों का वर्गीकरण		ओरल मार्ग द्वारा मध्यम घातक खुराक तीव्र विषाक्तता एलडी 50 (मिलीग्राम / किग्रा शरीर का वजन)	त्वचीय मार्ग मध्यम घातक खुराक तीव्र विषाक्तता एलसी 50 (पीपीएम V.)	गैसीय मार्ग द्वारा मध्यम घातक खुराक तीव्र विषाक्तता एलसी 50 (मिलीग्राम / किग्रा शरीर के वजन)	वाष्प मार्ग द्वारा मध्यम घातक खुराक तीव्र विषाक्तता एलसी 50 (मिलीग्राम / एल)	धूल और धुंध द्वारा मध्यम घातक खुराक तीव्र विषाक्तता एलसी 50 (मिलीग्राम / एल)	लेबल पर रंग और पहचान	प्रतीक / संकेत शब्द	चेतावनी व्यापार
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्रेणी 1	घातक रूप से विषाक्त	5 तक	50 तक	100 तक	0.5 तक	0.05 तक	चमकदार लाल	खोपड़ी एंव क्रॉस हड्डियों और शब्द 'घातक जहर' दोनों लाल रंग में मुद्रित	क) "बच्चों की पहुंच से दूर रखें" ख)"अगर निगल लिया है, या यदि, विषाक्तता के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाएं."	
श्रेणी 2	अत्यंत विषैला	>5-50	>50-200	>100-500	>0.5-2.0	>0.05-0.5	चमकदार लाल	खोपड़ी और क्रॉस हड्डियों और शब्द 'अत्यंत विषैला जहर' दोनों लाल रंग में मुद्रित	क) "बच्चों की पहुंच से दूर रखें" ख)"अगर निगल लिया है, या यदि, विषाक्तता के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सक को बुलाएं."	
श्रेणी 3	अत्यधिक विषैला	>50-300	>200-1000	>500-2500	>2.0-10	>0.5-1.0	चमकदार पीला	लाल रंग में जहर पुरुषों में जहर	"बच्चों की पहुंच से दूर रखें"	
श्रेणी 4	मध्यम विषाक्त	>300-2000	>1000-2000	>2500-20000	>10-20	>1.0-5	चमकदार नीला	खतनाक	"बच्चों की पहुंच से दूर रखें"	

श्रेणी 5	थोड़ा जहरीला	>2000-5000	>2000-5000	> 20000 या श्रेणी 4 में कोई मृत्यु दर / मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण विषाक्त प्रभाव।	> 20 या श्रेणी 4 में कोई मृत्यु दर / मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण विषाक्त प्रभाव।	>5 या श्रेणी 4 में कोई मृत्यु दर/मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण विषाक्त प्रभाव।	चमकदार नीला	सावधान	"बच्चों की पहुंच से दूर रखें"
श्रेणी 6	विषाक्त होने की संभावना नहीं है	>5000	>5000	अवर्गीकृत	अवर्गीकृत	अवर्गीकृत	चमकदार हरा	कोई प्रतीक/संकेत शब्द नहीं	कोई चेतावनी बयान नहीं

[फा.सं. 13028/02/2014-पी.पी-I]
डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव

टिप्पणि : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित।

1. जी.एस.आर. 474(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976,
2. जी.एस.आर. 736(अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1977,
3. जी.एस.आर. 1064 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 1988,
4. जी.एस.आर. 533 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1993,
5. जी.एस.आर. 371 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
6. जी.एस.आर. 372 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
7. जी.एस.आर. 586 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1999
8. जी.एस.आर. 548(अ), दिनांक 12 सितंबर, 2006,
9. जी.एस.आर. 692 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006,
10. जी.एस.आर. 128(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2009,
11. जी.एस.आर. 174(अ), दिनांक 5 मार्च, 2010,
12. जी.एस.आर. 474(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2013,
13. जी.एस.आर. 797(अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014,
14. जी.एस.आर. 840 (अ), दिनांक 5 नवंबर, 2015,
15. जी.एस.आर. 164(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016,
16. जी.एस.आर. 794 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016,
17. जी.एस.आर. 79 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017,
18. जी.एस.आर. 106(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017,
19. जी.एस.आर. 1229(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2017,
20. जी.एस.आर. 1588(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017,
21. जी.एस.आर. 399(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018,
22. जी.एस.आर. 1204 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018

23. जी.एस.आर.11(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2019,
24. जी.एस.आर. 535 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2019,
25. जी.एस.आर. 782(अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2019,
26. जी.एस.आर. 07(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2020,
27. जी.एस.आर. 355(अ) दिनांक 5 जून, 2020 और
28. जी.एस.आर 805 (अ) दिनांक 30 दिसंबर 2020।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

G.S.R. 33(E).—The following draft Rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), are hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft Rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft Rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These Rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2022.
2. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
3. In said Rules, in rule 19, the following sub- Rule (5) shall be substituted, namely:-

“(3). The lower portion of the square referred to in sub-rule (3) shall contain the color specified in column (8) of the table below, depending on the classification of the insecticides specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

Category	Classification of insecticides	Medium lethal dose by the oral route acute toxicity LD ₅₀ (mg/kg body weight)	Medium lethal dose by the dermal route acute toxicity LD ₅₀ (mg/kg body weight)	Medium lethal dose by the gaseous route acute toxicity LC ₅₀ (ppmV)	Medium lethal dose by the vapour route acute toxicity LC ₅₀ (mg/l)	Medium lethal dose by the dusts and mists route acute toxicity LC ₅₀ (mg/l)	Color and Identification on the label	Symbol/ signal word	Warning statement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Category 1	Fatally toxic	Upto 5	Upto 50	Upto 100	Upto 0.5	Upto 0.05	Bright red	skull & cross bones and the word ‘Fatal poison’ printed both in red colour	a.) “KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN” b.) IF SWALLOWED, OR IF, SYMPTOMS OF POISONING OCCUR CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.”
Category 2	Extremely toxic	>5-50	>50-200	>100-500	>0.5-2.0	>0.05-0.5	Bright red	skull & cross bones and the word ‘Extremely toxic poison’ printed both in red colour	a.) “KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN” b.) IF SWALLOWED OR IF, SYMPTOMS OF POISONING OCCUR CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY.”

Category 3	Highly toxic	>50-300	>200-1000	>500-2500	>2.0-10	>0.5-1.0	Bright yellow	POISON printed in red.	"KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN."
Category 4	Moderately toxic	>300-2000	>1000-2000	>2500-20000	>10-20	>1.0-5	Bright blue	DANGER	"KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN."
Category 5	Slightly toxic	>2000-5000	>2000-5000	>20000 or any mortality in Category 4/ Significant toxic effects to humans.	>20 or any mortality in Category 4/ Significant toxic effects to humans.	>5 or any mortality in Category 4/ Significant toxic effects to humans	Bright blue	CAUTION	"KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN"
Category 6	Unlikely to be toxic	>5000	>5000	Unclassified	Unclassified	Unclassified	Bright green	No symbol/Signal word	No warning statement

[F.No. 13028/02/2014-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971.

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999,
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016,
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R. 79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017,
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
22. G.S.R. 1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R. 11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020 ,
27. G. S. R. 355(E) dated 5th June, 2020 and
28. G .S .R 805(E) dated 30th December 2020.